झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 4148 वर्ष 2019

1. मिस सुसाना टोपनो, उम्र लगभग 59 वर्ष, प्रभु सहाय लोंगा की पत्नी, आदिवासी कॉलोनी, तुंगरी, डाकघर और थाना–चाईबासा, जिला–पश्चिम सिंहभूम
2. अन्नुमति दास, उम्र लगभग 46 वर्ष, स्वर्गीय सिकुर दास की पुत्री, निवासी ग्राम–तिरिलबासा, डाकघर–बरकुंडिया, थाना–मुफस्सिल, जिला–पश्चिम सिंहभूम
3. लेबिया कलुंडिया, उम्र लगभग 55 वर्ष, पे0–कान्डे कलुंडिया, निवासी ग्राम–टेकराहातु, डाकघर–सिंहपोखडिरया, थाना–मुफस्सिल, जिला–पश्चिम सिंहभूम

... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा अपने प्रधान सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, कार्यालय–नेपाल हाउस, डोरण्डा, डाकघर और थाना–डोरण्डा, जिला–रांची
2. निदेशक, उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय–नेपाल हाउस, डोरण्डा, डाकघर और थाना–डोरण्डा, जिला–रांची
3. निबंधक, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, कार्यालय–डाकघर और थाना–चाईबासा, जिला–पश्चिम सिंहभूम

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: सुश्री सुरभि, अधिवक्ता

उत्तरदाता–विश्वविद्यालय के लिए: डॉ0 अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

6 / 25.01.2021 श्री राजेश कुमार, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता, सुश्री सुरभि, प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता डॉ0 अशोक कुमार सिंह को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

3. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को क्रमशः 01.01.1996 और 01.01.2006 के प्रभाव से 5वें और 6ठे वेतन संशोधन7 के तहत याचिकाकर्ताओं के वेतन को तय करने के निर्देश देने के लिए दायर किया है।

4. याचिकाकर्ता संख्या 1 को जी0सी0 जैन कॉमर्स कॉलेज, चाईबासा में चपरासी के पद पर दिनांक 28.02.1978 के पत्र द्वारा नियुक्त किया गया है और वे दिनांक 01.03.1978 को उक्त पद पर योगदान दिये, याचिकाकर्ता संख्या 2 को जी0सी0 जैन वाणिज्य महाविद्यालय, चाईबासा में चपरासी के पद पर दिनांक 27.02.1981 के पत्र द्वारा नियुक्त किया गया और वे 01.03.1981 को उक्त पद पर योगदान दिये, याचिकाकर्ता संख्या 3 को जी0सी0 जैन वाणिज्य महाविद्यालय, चाईबासा में चौकीदार के पद पर दिनांक 04.06.1985 के पत्र द्वारा नियुक्त किया गया है और वे दिनांक 01.07.1985 को उक्त पद पर योगदान दिये। याचिकाकर्ताओं का वेतनमान अनुबंध–4 में निहित वेतन संशोधन चार्ट

दिनांक 25.03.1983 द्वारा तय किया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 1 की सेवा को दिनांक 22.02.1994 को नियमित किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 की सेवा को दिनांक 13.05.2000 को नियमित की गई है। याचिकाकर्ताओं के वेतन को 5वें और 6ठे वेतन संशेधन के तहत संशोधित नहीं किया गया है जो क्रमशः दिनांक 01.01.1996 और दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी किया गया था।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने इस तरह की राहत के लिए विश्वविद्यालय के समक्ष पहले ही अभ्यावेदन दायर कर दिया है।

6. डॉ0 अशोक कुमार सिंह, उत्तरदाता विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता और सुश्री सुरभि, विद्वान राज्य अधिवक्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका को प्रतिवादी विश्वविद्यालय को अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और रिट याचिका में की गई प्रार्थना के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देने के साथ निपटाया जा सकता है।

7. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को उन सभी साख जिन पर वह इस प्रकार की राहत के लिए भरोसा कर रहे हैं, को संलग्न करने के माध्यम से प्रतिवादी विश्वविद्यालय के समक्ष आज ` तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नया अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

8. यदि ऐसा अभ्यावेदन उत्तरदाता विश्वविद्यालय के समक्ष दायर किया जाता है, तो उत्तरदाता विश्वविद्यालय नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार और 5वें और 6ठे वेतन संशोधन पर विचार करते हुए निर्णय लेगा और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

9. यह कहना नहीं होगा कि यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो इसे राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाएगा।

10. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका [डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4148/2019] को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)